160 26 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नीति

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 24 अक्टूबर 2011 के समदिनांकित कार्यालय ज्ञापन सं. का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नीति की एक प्रतिलिपि संलग्न की गई थी।

2. उपर्युक्त नीति के पैरा 21 में यह उल्लेख किया गया है कि विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित इसके मिशनों को बाद वाले चरणों में शामिल करने के बजाय इस प्रक्रिया के प्रारंभ से ही उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। विदेश मंत्रालय अपने सहयोग और इस प्रक्रिया में विदेशों में स्थित अपने मिशनों द्वारा सहयोग के संबंध में उपयुक्त दिशानिर्देश देगा। विदेश मंत्रालय विदेशों में स्थित अपने मिशनों को भी सलाह जारी करेगा कि वे भारतीय कंपनियों द्वारा कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और इस संबंध में संभावित सूचना संबंधित मंत्रालयों के साथ साझा करें।

3. उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने विदेशों में अपने राजनयिक मिशनों को अपने दिनांक 30 दिसंबर 2011 के पत्र संख्या 3557/सचिव (ईआर)/2011 (प्रतिलिपि संलग्न है) के जरिए एक परामर्शी निदेश जारी किया है।

4. विदेश मंत्रालय ने सचिव (डीपीई) को संबोधित अपने दिनांक 30 दिसंबर 2011 के एक अन्य पत्र संख्या 3557/सचिव (ईआर)/2011 के जरिए ऐसे सीपीएसई, जो इस नीति के अंतर्गत आते हैं, के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए हैं:

(i) सीपीएसई विदेश मंत्रालय/विदेशों में स्थित इसके मिशनों के ध्यान में आरंभिक चरण पर ही लाएं अर्थात उन्हें इस बात की जानकारी आरंभिक सूचना चरण पर ही दी जाए और अपेक्षित सावधानी बरती जाए (जैसा कि नीतिगत दस्तावेज में उल्लेख किया गया है) ।

(ii) अपेक्षित सावधानी प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में सीपीएसई मूल प्रस्ताव के संभावित मूल्यवर्धन के लिए एमईए/मिशन के साथ एक परामर्श प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ऐसे मूल्यवर्धन में लक्षित देश में अवसंरचना अथवा विकास, लक्षित देश को दी गई मौजूदा लाईन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल, उस

देश के साथ अन्य राजनयिक/वाणिज्यिक पहलों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आदि शामिल हो सकता है।

(iii) अधिग्रहण प्रक्रिया मे तेजी लाने के लिए सरकार से सरकार के बीच बातचीत के संबंध में सभी चरणों में एमईए को सूचित किया जाए।

(iv) इस उद्देश्य से विदेश मंत्रालय में ऊर्जा सुरक्षा (ईएस) प्रभाग नोडल प्रभाग होगा। नोडल प्रभाग को ऐसी बैठकों अथवा परामर्श सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए, जो विशिष्ट मामलों में विदेशी सरकारों के साथ बातचीत अथवा नीतिगत मुद्दों या निर्णय लेने के संबंध में आयोजित किए जाएं।

(v) प्रभाग के संपर्क विवरण नीचे दिए अनुसार हैं:

श्री प्रभात कुमार
संयुक्त सचिव (ऊर्जा सुरक्षा)
विदेश मंत्रालय, कमरा सं. 3055, जवाहरलाल नेहरू भवन
23–डी, जनपथ, नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 4901–5185, फैक्स– 4901–5186
ई–मेल : jses@mea.gov.in

5. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त दिशानिर्देशों और परामर्शी निदेश का संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है, साथ ही यह भी अनुरोध है कि डीपीई को भी कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने भारतीय केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा विदेशों में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर एक नई नीति परिचालित की है। डीपीई के दिनांक 24 अक्टूबर 2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16 (4)/2010–जीएम की प्रतिलिपि तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न है। हमारे मंत्रालय से मसौदा चरण के दौरान परामर्श किया गया था और विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए इनपुट को इस नीति में शामिल कर लिया गया है; मैं कार्यालय ज्ञापन के पैरा 21 के संदर्भ में विशेष रूप से आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

2. सारांश के तौर पर यह नोट किया जाए कि नई नीति के अंतर्गत विदेशों में कच्चा माल परिसंपत्तियों का अधिग्रहण का प्रस्ताव करने वाले सीपीएसई को किसी भी विश्वसनीय सूचना के अनुसार कार्य करने, त्वरित

ढंग से आवश्यक अपेक्षित सतर्कता बरतने और संबंधित सीपीएसई के निदेशक मंडल को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सहुलियत दी गई है। प्रस्ताव तैयार करते समय सीपीएसई को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वे कानूनी अथवा वित्तीय रूप से आवश्यक संयुक्त उद्यमों या विशेष उद्देश्य वाहनों की स्थापना संबंधी व्यवहार्यता/अपेक्षा का पता लगाएं। सीपीएसई के निदेशक मंडल को बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। निदेशक मंडल की शक्तियों से परे वाले प्रस्तावों के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय सचिवों के अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस) व्यवस्था को अधिसूचित करेंगे। ऐसे प्रस्तावों के लिए, जो निदेशक मंडल की शक्तियों से परे हैं अथवा जिनके लिए समन्वित पहल या भारत सरकार की बजटीय सहायता आवश्यक है, के मामले में सचिवों की समन्वय समिति (सीसीओएस) व्यवस्था की जाएगी। सीसीओएस को डीपीई द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिसकी भूमिका में यह सुनिश्चित करना शामिल होगा कि सीसीओएस की बैठक प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आयोजित की जाए। इस प्रयोजन के लिए डीपीई में एक विशेष सेल स्थापित किया जाएगा।

3. सीपीएसई द्वारा की जा रही अधिग्रहण की प्रक्रिया में हमारे विदेशों में स्थित मिशनों से प्राप्त इनपुट महत्वपूर्ण होगा और अन्यत्र कहीं से पहले से प्राप्त की गई सूचना के पूरक के रूप में समय पर और परिशुद्ध सूचना प्रदान करने के लिए हमारे मिशनों से अनुरोध किया जाए। मंत्रालय द्वारा भी इनपुट मांगे जाएंगे, जिन्हें ईसीएस अथवा सीसीओएस के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और प्रस्तावों के मूल्यवर्धन के लिए उन्हें मांगा जाएगा। तदनुसार, विदेशों में भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में आगे आने पर मिशनों से इनपुट प्राप्त होने पर लक्षित देश में अवसंरचना विकास की संभावना, छूट युक्त क्रेडिट की समन्वित स्वीकृति आदि तर्कसंगत होंगे।

4. नीति के पैराग्राफ 21 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि सीपीएसई निर्णय प्रक्रिया में मंत्रालय और संबंधित मिशन को प्रक्रिया के आरंभ से ही संबद्ध रखेंगे। हम इस संबंध में सीपीएसई के लिए दिशानिर्देश जारी कर रहे हैं (प्रतिलिपि संलग्न है)।

5. नई नीति के संबंध में मिशनों को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगीः

(i) सीपीएसई द्वारा कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया में मिशनों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए;

(ii) मिशनों को ऐसे कच्चा माल की संभावना के बारे में सूचना एकत्र करनी चाहिए, जिनमें सीपीएसई द्वारा निवेश किए जाने की संभावना है और ऐसी आसूचना को उसे संबंधित मंत्रालयों के साथ साझा करना चाहिए;

(iii) मिशनों को अवसंरचना विकास की संभावनाओं का पता लगाने, छूट युक्त क्रेडिट की स्वीकृति अथवा मौजूदा लाइन ऑफ क्रेडिट अथवा अनुदान का लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए अथवा ऐसी कोई पहल करनी चाहिए, जिससे सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया जा सके और उसका मूल्यवर्धन संभव हो तथा इस संबंध में अपनी सुविचारित सिफारिशें उन्हें देना चाहिए।

(iv) कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण संबंधी पहल के संदर्भ में विदेश मंत्रालय में ऊर्जा सुरक्षा (ईएस) प्रभाग नोडल प्रभाग होगा और मिशनों को संगत सीपीएसई के प्रयासों में की गई प्रगति और प्रक्रिया के संदर्भ में इसे वस्तुस्थिति से अवगत कराते रहना चाहिए।

(v) मिशनों को विदेशों में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर ईसीएस और सीसीओएस की बैठक के लिए आवश्यक जानकारी, जब कभी भी मांगी जाती है, प्रदान की जाए।

6. ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इस पहल की सफलता के लिए मिशनों की सक्रिय भागीदारी लंबे समय तक आवश्यक होगी।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 16 (4)/2010–जीएम, दिनांक 23 जनवरी, 2012)

*****